2008:CGHC:8471-

DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

क्रिमिनल अपील संख्या 164/2003

कैलाश लोधी एवं एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु :

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-
मुख्य न्यायाधीश

14/09/2008

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 12/09/2008

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

क्रिमिनल अपील संख्या 164/2003

याचिकाकर्ता

1. कैलाश लोधी, पिता: पितांबर लोधी, आयु 27 वर्ष, निवासी गाँव पथरीखुर्द, थाना एवं तहसील-साजा, जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. जीवन लोधी, पिता: लतमर लोधी, आयु 25 वर्ष, निवासी सुरोदाब्री, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदातागण

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के माध्यम से

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थित :

श्री आर.एन. झा, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री प्रवीण दास, उप सरकारी अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय (12-09-2008)

निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा दिया गया :

(1) यह अपील 16.1.2003 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देती है। जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा

302 एवं 201 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 2,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 10 महीने का कठोर कारावास, और 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 5 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

(2) मृतक बसंत लोधी भुवन और जगन्नाथ (पीडब्ल्यू-6) की दुकान में काम कर रहा था, जो ग्राम पारपोडी में स्थित थी। वह ग्राम पथरीखुर्द का निवासी था। वह प्रतिदिन सुबह दुकान जाता था। 7.4.2002 को वह घर वापस नहीं लौटा; उसकी खोज की गई और अंततः 11.4.2002 को उसका शव ग्राम सुरादाब्री के खेत में मिला। मामले की सूचना भोजराम (पीडब्ल्यू-1) ने पुलिस को दी और एक मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/1) दर्ज की गई। 11.4.2002 को विवेचक अधिकारी ने मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श-पी/2) तैयार किया। शव को पोस्टमार्टम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छुईखदान भेजा गया और पोस्टमार्टम डॉ. अशोक खरे (पीडब्ल्यू-4) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/8) तैयार की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पोस्टमार्टम सर्जन ने पाया कि शव अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में था, चेहरा विकृत हो गया था और हाथ-पैर ममीकृत थे। आँखें बंद थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी और गर्दन आसानी से हिल रही थी। आंतरिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि एक्सिस बोन टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी दूसरी और तीसरी कशेरुका पर कटी हुई थी और दाहिने फेफड़े के ऊपरी हिस्से में चोटें थीं। बायाँ जबड़ा भी टूटा हुआ था। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण ग्रीवा (गर्दन) की हड्डी टूटने से श्वसन विफलता थी और मृत्यु 5 से 7 दिन पहले हुई थी। 14.4.2002 को अपीलकर्ता कैलाश को हिरासत में लिया गया और उसके बयान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत एक बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श-पी/3) दर्ज किया गया और उसके बताए स्थान से, जहाँ शव मिला था, खाली शराब की बोतलें आदि जब्त की गईं।

(3) अभियोजन का मामला यह है कि घटना से 3 वर्ष पूर्व मृतक ने अपीलकर्ता कैलाश लोधी से ₹25,000 में एक भूमि खरीदी थी। यद्यपि पूरा भुगतान कर दिया गया था और भूमि का कब्जा मृतक को सौंप दिया गया था, फिर भी पंजीकृत बिक्री विलेख नहीं बना और अपीलकर्ता कैलाश लोधी बिक्री विलेख निष्पादित करने से इंकार कर रहा था। इसी कारण, 7.4.2002 को अभियुक्तगण जगन्नाथ (पीडब्ल्यू-6) की दुकान पर गए और मृतक को अपनी साइकिल पर ले गए, जिसके बाद मृतक जीवित नहीं देखा गया। चूंकि मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ देखा गया था, "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, उनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर हुआ और परीक्षण के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) स्वीकार किया जाता है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि केवल "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति और भूमि बिक्री विवाद के कारण हुई।

(5) अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता श्री आर.एन. झा ने मृतक की हत्या को नहीं नकारा। उन्होंने तर्क दिया कि केवल "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन इस परिस्थिति को प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ और यदि इसे प्रमाणित भी माना जाए, तो अंतिम बार देखे जाने और शव मिलने के बीच लंबे अंतराल को देखते हुए तीसरे व्यक्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(6) दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश का समर्थन किया।

(7) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार से सुनीं और सत्र न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

(8) केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, उच्चतम न्यायालय ने धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एससीसी 22 के मामले में कहा है: "जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, तब जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि की जानी है, वे न केवल पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए बल्कि उनका स्वरूप निर्णायक होना चाहिए और वे केवल अभियुक्त के दोष की ओर ही संकेत करती हों। ये परिस्थितियाँ किसी अन्य संभावना से समझाई न जा सकें और साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता की किसी भी युक्तिसंगत संभावना को समाप्त कर दे। अदालत का आक्रोश नहीं, बल्कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं और जितना गंभीर अपराध होगा, उतनी ही सावधानी साक्ष्यों की जांच में बरती जानी चाहिए ताकि संदेह, प्रमाण के स्थान पर न आ जाए।"

(9) बोध राज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, एआईआर 2002 एससी 3164 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी हो सकती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि करने से पहले जिन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं:

1. जिन परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि की जानी है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए। ये परिस्थितियाँ "होनी ही चाहिए" या "होनी चाहिए" प्रकार की होनी चाहिए, न कि "हो सकती हैं"।
2. स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। अर्थात्, वे किसी अन्य संभावना से नहीं समझाए जा सकते, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।
3. परिस्थितियाँ निर्णायक और ठोस प्रकृति की होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वे हर अन्य संभावित परिकल्पना को समाप्त कर दें, सिवाय उस परिकल्पना के जिस सिद्ध करना है।

4. साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता की किसी भी उचित संभावना के लिए कोई स्थान न बचे और यह दर्शाए कि मानवीय संभावना के अनुसार यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत के बारे में :

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ जीवित देखा गया हो और मृतक का शव मिलने के बीच समयांतराल इतना कम हो कि किसी अन्य व्यक्ति के अपराधी होने की संभावना न हो। यदि समयांतराल लंबा है, तो यह स्थापित करना कठिन हो जाता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और कोई अन्य व्यक्ति बीच में न आया हो। ऐसे मामलों में बिना किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के, केवल "अंतिम बार साथ" की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि करना खतरनाक हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) लगभग समान दृष्टिकोण फिर से उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य बनाम संजय ठककरन एवं अन्य (2007 (4) एसबीआर 321) मामले में लिया गया। उक्त निर्णय देते समय, उच्चतम न्यायालय ने बोध राज मामले (उपर्युक्त) के निर्णय का भी उल्लेख किया और अंततः "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति के बारे में पुनः कहा कि यह सामान्य रूप से अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए विचार में लिया जाएगा, जब यह अभियोजन द्वारा सिद्ध किया जाए कि जिस समय अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया और मृतक मृत पाया गया, उनके बीच का समयांतराल इतना कम था कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके।

(11) श्रवण कुमार (पीडब्ल्यू-3) और जगन्नाथ (पीडब्ल्यू-6) को अंतिम बार साथ देखे जाने के बिंदु पर जांचा गया। पीडब्ल्यू-3 श्रवण कुमार ने कहा कि घटना के दिन लगभग शाम 6 बजे वह ग्राम पारपोडी की कीटनाशक की दुकान में था। जगन्नाथ (पीडब्ल्यू-6), कैलाश, जीवन और बसंत (मृतक) भी दुकान में बैठे थे। मृतक ने उसे बताया कि वह कैलाश के साथ जा रहा है। इसके बाद मृतक, अपीलकर्ता जीवन और अपीलकर्ता कैलाश साइकिल पर गाँव पथरी की ओर गए। लगभग 4-5 दिन बाद उसे सूचना मिली कि मृतक का शव ग्राम सुरादाब्री में मिला है। पीडब्ल्यू-6 जगन्नाथ ने कहा कि घटना के दिन लगभग शाम 6 बजे दोनों अपीलकर्ता उसकी दुकान पर आए और मृतक उनके साथ चला गया। वे साइकिल पर गए थे, उसने उन्हें ग्राम सुरादाब्री की ओर जाते देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) इन दोनों गवाहों के सबूतों की सराहना में, हम पाते हैं कि उनके 161 बयान (प्रदर्श-D/2 और D/4) दिनांक 5.5.2002 को दर्ज किए गए थे, अर्थात लगभग 1 महीने की अवधि के बाद और उन्होंने इन तथ्यों का खुलासा एक विलंबित चरण में किया। अभियोजन पक्ष ने यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि इन गवाहों के बयान दर्ज करने में ऐसी देरी क्यों हुई।

जांच अधिकारी बी.एस. मेरावी (अ.सा.-7) के बयान (पैरा-27) में यह सामने आता है कि चूंकि ये दोनों गवाह जिला दुर्ग के निवासी थे और पहले किसी मौके पर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए उनके बयान किसी प्रारंभिक तिथि पर दर्ज नहीं हो सके। जांच अधिकारी के साक्ष्य के आलोक में, जब हम अ.सा.-3, श्रवण कुमार के बयान की सामग्री की जांच करते हैं, तो उन्होंने अपने जिरह के पैरा-8 में कहा कि मृतक का शव उनके सामने बरामद हुआ था और मृतक के शव का पंचनामा उनके सामने ही तैयार किया गया था जब वे सुरादाबरी गांव गए थे। शव मिलने की खबर मिलने के बाद, उन्होंने आगे कहा कि उनका बयान शव की बरामदगी के 1-2 दिन बाद दर्ज किया गया। अ.सा.-6, जगन्नाथ ने भी अपने जिरह के पैरा-7 में कहा कि वह

श्रवण कुमार के साथ सुरादाबरी गांव में मृत शरीर की बरामदगी के दिन मौजूद था और उसी दिन उसने पुलिस को बताया कि उसने मृतक को अभियुक्तों के साथ जाते हुए देखा था। इन गवाहों के इस प्रकार के साक्ष्य के आलोक में, हम इनके बयानों पर भरोसा करने से हिचकते हैं।

(13) यहां तक कि यदि मान भी लें कि इन गवाहों ने मृतक को अभियुक्तों के साथ जाते हुए अंतिम बार देखा था, तो भी हमारे विचार में यह अकेला तथ्य ऐसा नहीं है जो एक "अप्रतिरोध्य निष्कर्ष" की ओर ले जाए कि...

अपीलकर्ताओं और किसी अन्य ने मृतक की हत्या नहीं की थी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों में यह कहा गया है कि "अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत" तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया हो और जब मृतक मृत पाया गया हो, तो वह समयांतराल इतना कम हो कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो जाए।
स्वीकार्य रूप से, समयांतराल के बारे में कोई निश्चित फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन समयांतराल इतना कम होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना को समाप्त किया जा सके।
वर्तमान मामले में, भले ही हम यह मान लें कि मृतक को अंतिम बार 7.4.2002 को जीवित देखा गया था और उसका शव 11.4.2002 को मिला था, तो लगभग 5 दिनों का यह लंबा समयांतराल देखते हुए बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता।

(14) हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अधिविक सत्र न्यायालय ने केवल "अंतिम बार साथ देखे जाने" के एकमात्र आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराकर कानून में गलती की है।

(15) परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं को दी गई सजा और दोषसिद्धि को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) कहा गया है कि अपीलकर्ता 14.4.2002 से जेल में हैं। यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश **सुनीलकुमारसिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरण :- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By **Hom Prakash Sonkar,**

Advocate Durg CG 491001

Mobile number 8109968066